23 5/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.पायंला खुर्द मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी स.8 की ओर से पैरोकार सरकार उप.। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी स.1 से 7 बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पथृक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। 23/5/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत स्थल–अटल सेवा केन्द्र पांयला खुर्द)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.101 / 2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.जीवराजसिह 2.हड़मतसिह 3.नगसिह पिसरान रावतसिह जाति राजपुत निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1जेवताराम पुत्र गुमनाराम जाति रबारी निवासी पांयला खुर्द 2.सरंपच जरिये ग्राम पंचायत पांयला खुर्द 3.जोगसिह पुत्र सुजानसिह 4.खेतसिह 5.मेहरसिह पिसरान परबतसिह जाति राजपुत निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी 6.गोरधनराम 7.सोनाराम पिसरान रतनाराम जाति प्राजपत निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 8.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपस्थिति–

1 श्री रामजीवन विश्नोई,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार–नायब तहसीलदार विप्रार्थी स.8

3. विप्रार्थी स.1 से 7 एकरतफा।

आदेश

दिनांक– 23.5.17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

न आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम ला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 310 व 316 कुल रकबा 24–13 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 310 व 316 कुल रकबा 24–13 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये लोक अदालत से नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी स.1 से 7 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी स.8 की ओर से जबाव पेष नही किया गया।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 310 व 316 कुल रकबा 24–13 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी भूमि भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 310 व 316 कुल रकबा 24–13 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के ...ा फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 310 व 316 कुल रकबा 24–13 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणति होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 310 व 316 कुल रकबा 24–13 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

23/6/17

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 23/6/17 को लिखवाया जाकर मजमे आम इजलास सुनाया गया।

23/6/17

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner